

8.1.25

प्राचीन पेशा दुई। प्राचीन अभिभाषक व  
 अप्राचीन अभिभाषक उपस्थित। अप्राचीन अभिभाषक  
 द्वारा आदेश ०७ नियम १५ एफसी सार्वजनिक-पत्र  
 पेश करते हुए भूमि सम्पत्तिवर्तन की प्रति पेश  
 की गई। नकल प्राचीन अभिभाषक को दिनांक ०७/०१/२५  
 प्राचीन अभिभाषक द्वारा सार्वजनिक-पत्र का अभाव  
 पेश नहीं करते हुए सिधे बहस किये जाने  
 का निवेदन किया गया। सार्वजनिक-पत्र ७ (११)  
 पर दोनों पक्षों की सुन तथा प्रस्तुत सम्पत्तिवर्तन  
 आदेश की प्रति को अज्ञात से जात आया  
 की वद प्रस्तुत भूमि वर्तमान में आवादी ~~के~~  
 विषय दर्ज है अतः अप्राचीन अभिभाषक द्वारा  
 प्रस्तुत सार्वजनिक आदेश ७ नियम १५ एफसी को  
 खिन्न किया जाता है। प्रकरण में कार्यवाही  
 जूरी स्ट्रेज पर प्रोप की जा कर प्रकरण फैसल  
 शुमार कर दारिजल दफतर से।

उपस्थित अधिकारी  
 मन्दी, जिला बॉसवाड़ा

